न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 05/2010
विविध प्रार्थना पत्र संख्या ...../2017

श्री पांचू पुत्र श्री मंगा जाति रेगर निवासी ग्राम केसरपुरा (मेवाड़िया) तहसील पीसांगन जिला अजमेर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार पीसांगन
2. श्री भैरू पुत्र श्री भोला
3. श्री रामचंद्र पुत्र श्री भैरू
   जाति रावत निवासीगण ग्राम केसरपुरा (मेवाड़िया) तहसील पीसांगन जिला अजमेर।

.....रेस्पोन्डेन्ट्स

प्रार्थना पत्र वास्ते निरस्त करवाने अपील

उपस्थित :–

1. श्री महेन्द्र सिंह चौहान वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 ओर से।
2. श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील।

–: आदेश :–

दिनांक 09.02.2017

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसील पीसांगन के राजस्व ग्राम केसरपुरा (मेवाड़िया) स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 251 खसरा नम्बर 1826 कुल रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा भूमि के 1/2 हिस्से के रेकार्डेड सहखातेदार श्री पांचू पुत्र श्री मेधा जाति रेगर निवासी ग्राम केसरपुरा मेवाड़िया ने तहसीलदार पीसांगन के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 बी के अन्तर्गत इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर श्री भैरू पुत्र श्री भोला व श्री रामचंद्र पुत्र श्री भैरू जाति रावत द्वारा जबरन कब्जा कर लिया है, अतः अप्रार्थीगण को प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि से बेदखल कर कब्जा दिलवाया जावे। तहसीलदार पीसांगन द्वारा 183 बी के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 4/2005 पंजीबद्व किया जाकर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 25.01.2006 को आदेश पारित किया। उक्त आदेश अनुसार अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा सवर्ण जाति के व्यक्ति को अवैध बैचान का मामला होने से धारा 183 बी की कार्यवाही निरस्त कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 के अन्तर्गत सहायक कलक्टर अजमेर के समक्ष वाद दायर करने हेतु आदेश दिये गये। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 25.01.2006 से अप्रसन्न होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपील के विचाराधीन रहते वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से प्रार्थना पत्र वास्ते निरस्त करवाने अपील प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली कर सुनवाई हेतु समय दिया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर * अजमेर *

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

सुनवाई हेतु नियत दिवस वकील अपीलान्ट के अनुपस्थित रहने पर वकील रेस्पोन्डेन्ट व पैरोकार सरकार को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। वकील रेस्पोन्डेन्टस ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में धारा 175 के अन्तर्गत प्रकरण प्रस्तुत किया गया था, जिसे सहायक कलक्टर (मुख्यालय) अजमेर द्वारा अपने आदेश दिनांक 29.12.2009 को स्वीकार किया गया तत्पश्चात् अपीलान्ट श्री पांचू द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के समक्ष अपील संख्या 24/2010 प्रस्तुत की गई जो दिनांक 10.11.2010 को निरस्त कर दी गई। वकील रेस्पोन्डेन्ट्स ने आगे कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के आदेश दिनांक 10.11.2010 के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष अपील टी.ए. संख्या 626/2011 प्रस्तुत की गई जो विचाराधीन है जो आर्डरशीट एवं मीमो ऑफ अपील की प्रमाणित प्रतिलिपी से स्पष्ट है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष उक्त प्रकरण से संबंधित अपील विचाराधीन होने के कारण इस न्यायालय में विचाराधीन अपील स्वतः प्रभावहीन हो चुकी है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलान्ट प्राथमिक स्तर पर ही निरस्त की जावे।

पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रकरण धारा 42 के उल्लघंन का है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर धारा 175 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के आदेश दिये है। अपील अपीलान्ट प्रथम दृष्टया गलत है। अतः पोषणीय नहीं होने से निरस्त की जावे।

हमने वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 तथा पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के जिस आदेश को चुनौती दी गई है उक्त आदेश के विरूद्व पूर्व में ही सक्षम न्यायालयों द्वारा विधि अनुसार सुनवाई पश्चात् आदेश पारित किये जा चुके है तथा विवादित भूमि से संबंधित अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष विचाराधीन है। अब इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील निरर्थक हो चुकी है जिस पर सुनवाई किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट पोषणीय नहीं होने से निरस्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 09.02.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर, अजमेर

Scanned by CamScanner